नया प्र०— निग० 2367/2012 रीवा (110)

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

{ कैम्प रीवा }

COURT FEE दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE दस रुपये TEN RUPEES

R-2367-II/12

मोतीलाल कुम्हार पिता खिलइयां कुम्हार, निवासी ग्राम लहरिया परासी, थाना गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा, म0प्र0,

:——— निगरानीकर्ता

बनाम

1- नीलेश प्रताप सिंह पिता श्री चिन्तामणि सिंह, निवासी ग्राम लहरिया परासी, थाना गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा, म0प्र0,

2- शासन म0प्र0 — :———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार उप तहसील गंगेव, तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 का आदेश दिनांक 6.6.2012 एवं प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2011-12 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0।

===

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.06.12 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवां के न्यायालय मे गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 नीलेश प्रताप सिंह ने सीमांकन का आवेदन पत्र म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत आराजी नं. 265/1 का सीमांकन हेतु दिया गया था, जबकि आराजी नं0 265/2 का भू स्वामी निगरानीकर्ता है, और मौके से काबिज मकान बनाकर है, तथा उक्त भू-भाग पर पेड़-पौधे भी निर्मित है, सड़क से लगा हुआ →

110

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R2367-/12/रीवा/IV   जिला—रीवा

मोतीलाल कुम्हार/ नीलेश प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0पी0 पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, उपतहसील गंगेव, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 06/अ—12/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	